Taxation System
(कराधान प्रणाली)

#कर (Tax):- वह अनिवार्य भुगतान जो जनता या कंपनियाँ सरकार को देती है।

#सरकार कर क्यों लगाती है?

(i) राजस्व की प्राप्ति के लिए
(ii) आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए
(iii) आयातों एवं निर्यातों को नियंत्रित करने हेतु
(iv) आय के समान वितरण हेतु
(v) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु

Incidence of Tax करापात	Impact of Tax कराघात
Tax का लागू होना	करों का भुगतान करना

Two types of Taxes
दो प्रकार के कर

Direct Taxes प्रत्यक्ष कर	Indirect Taxes अप्रत्यक्ष कर
• यह उसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है जिसपर यह लागू होता है।	• यह लागू किसी और पर होता है लेकिन आंशिक या संपूर्ण भुगतान कोई और करता है।
• एक ही व्यक्ति के द्वारा भुगतान एक ही व्यक्ति पर लागू। (करापात एवं कराघात एक ही व्यक्ति पर)	• करापात एवं कराघात अलग-अलग व्यक्ति पर लागू होता है।
• कर का भार एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।	• कर का भार एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो सकते हैं।
• यह व्यक्तियों एवं कंपनियों पर लागू होते हैं।	• यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होते हैं।
Eg:- Income Tax Corporate Tax	Eg:- GST

Taxation System
कराधान प्रणाली

Progressive Taxation System प्रगतिशील कराधान प्रणाली	Regressive Taxation System प्रतिगामी कराधान प्रणाली
(i) अधिक आय अधिक कर कम आय कम कर	(i) अधिक आय कम कर कम आय अधिक कर
अमीरों पर अधिक भार गरीबों पर कम भार अर्थात् यह कराधान प्रणाली गरीबों के अनुकूल होती है।	अमीरों पर कम भार गरीबों पर अधिक भार अर्थात् यह अमीरों के अनुकूल कराधान प्रणाली है।
आमतौर पर सभी प्रत्यक्ष करों की प्रकृति प्रगितीशील होती है।	आमतौर पर सभी अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं।
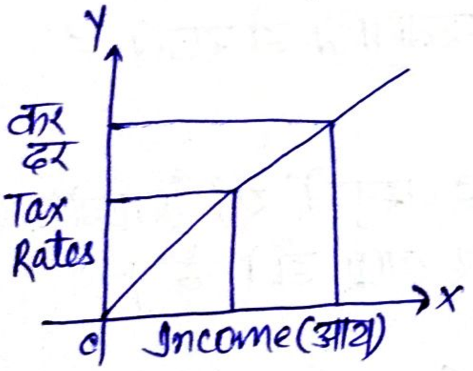	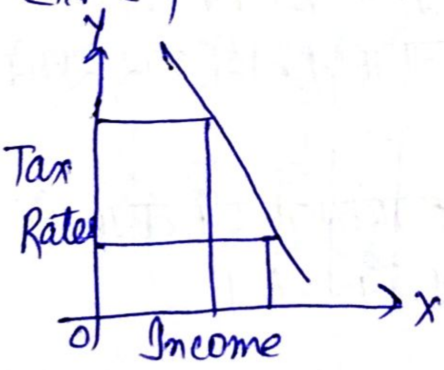

अनुपातिक कराधान प्रणाली
(Proportional Taxation System)

(a) आय अधिक हो या कम कर दर समान रहती है।

(b) किसी भी देश में यह कराधान प्रणाली स्वतंत्र रूप से नहीं होती है क्योंकि —

- एक सीमा के बाद प्रत्यक्ष कर आनुपातिक हो जाते हैं।
- अप्रत्यक्ष कर स्वयं ही आनुपातिक कराधान प्रणाली के होते हैं।

अधोगामी कराधान प्रणाली
(Degressive Taxation System)

(a) प्रारंभिक अवस्था में यह प्रगतिशील होता है लेकिन बाद में यह अनुपातिक हो जाता है।

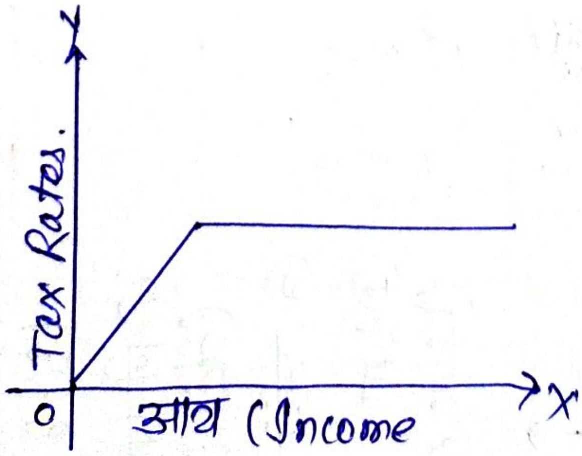

Taxes in India (भारत में कर)

Central Govt.

Direct Taxes

1. आय कर
2. निगम कर
3. पूँजी लाभ कर
4. परिसंपत्ति कर
5. उपहार कर
6. लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution)
7. Fringe Benefit Tax अनुषंगी लाभ कर
8. प्रतिभूति लेनदेन कर
9. न्यूनतम वैकल्पिक कर
10. वैश्विक न्यूनतम कर (Global

Indirect Taxes

1. केन्द्र उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty)
2. सीमा शुल्क (Custom Duty)
3. Countervailing Tax
4. Anti-Dumping Duty
5. Service Tax
6. Central Sales Tax

State Govt.

Direct Taxes

1. कृषि आय कर
2. पेशा कर
3. भू-राजस्व

Indirect Taxes

1. राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise Duty)
2. विद्युत कर (Electricity Tax)
3. मनोरंजन Tax
4. VAT (Value Added Tax)

GST

GST
3% — पीला
0.25% — हीरा
Assam — 1
बोडो

Income Tax (आय कर)

Income Tax Slab

Old Tax Slab

Upto ₹ 2,50,000 ⟶ Nil

₹ 2,50,001 — ₹ 3,00,000 ⟶ 5%

New Tax Slab

Up to ₹ 3 lakh ⟶ Nil

3 लाख - 6 लाख ⟶ 5%

6 लाख - 9 लाख ⟶ 10%

9 लाख - 12 लाख ⟶ 15%

12 लाख - 15 लाख ⟶ 20%

15 लाख से अधिक ⟶ 30%

- भारत में आय कर के प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के तहत लागू होते हैं।

Taxable Amount :— वह राशि जिस पर कर का भुगतान किया जाता है।

Tax Amount :— वह राशि जो हम कर के रूप में भुगतान करते हैं।

कर कटौती (Tax Deduction) :—

आय कर अधिनियम, 1961 में विभिन्न प्रावधान है। इन प्रावधानों का प्रयोग कर के हम Taxable Amount को कम कर सकते हैं।

Eg :— Section — 80 (C)

- NSC — 5yrs
- Tution Fee
- PF
- 5yr Above FD
- Life Insurance
- SSY etc.

• **मानक कटौती (Standard Deduction) :—**

Medical Allowances
Travelling Allowances ⇒ ₹50,000

• **कर माफ (Tax Rebate) :—**

एक निश्चित आय तक लोगों को करों का भुगतान नहीं करना होता है। बजट 2023-24 के अनुसार

(कर छूट ₹25,000 तक)

कर बचाव (Tax Avoidance) :-

कानून तरीके से कर का बचाव

कर चोरी (Tax Evasion) :-

गैर कानूनी तरीके से करों को बचाना

# Cess	# Surcharge
(i) कर पर कर	(i) कर पर कर
(ii) इसका भुगतान हर व्यक्ति करता है।	(ii) इसका भुगतान उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो एक सीमा से अधिक ₹ 50 लाख से ज्यादा
(iv) यह किसी नाम से लागू होता है।	(iv) यह किसी नाम पर लागू नहीं होता है।
(v) Health & Education Cess → 4%	₹50लाख – ₹1Cr. → 10% ₹1 cr – ₹2Cr → 15% ₹2Cr ↑ → 25%

NOTE!! बजट 2023–24 में अधिकतम Surcharge को 25% कर दिया गया है। पहले यह 37% था।

Old Tax Slab

₹ 25 lakh − ₹ 50K (S.D)

₹ 1,50,000

₹ 2 ~~1~~,00,000 [Home loan]

₹ 22 लाख

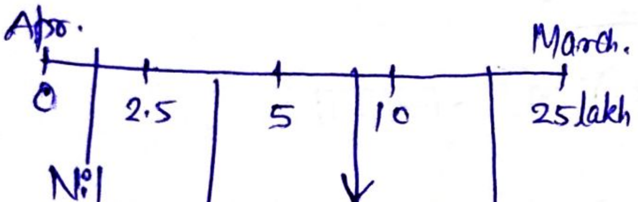

5×20%
100000

2.5×5%
12,500

12×30%
3,60,000

₹ 4,72,500 → Tax

4% Health & Edu. Cess

New Tax Slab → 80C

₹ 25 लाख − ₹ 50 लाख (SD)

₹ 24,50,000

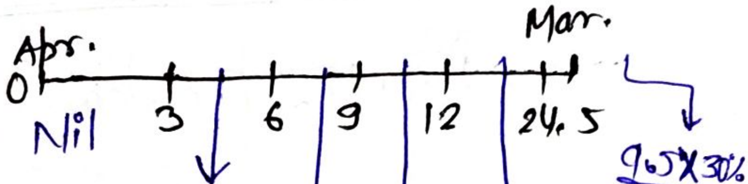

9.5×30%
2,85000

3×5%
15,000

3×15%
45,000

3×10%
30,000

3×20%
60,000

₹ 4,35,000

Corporate Tax (निगम कर)

यह वह कर है जो कंपनियों के निवल आय अर्थात लाभ पर यह लागू होता है।

वर्तमान में यह निम्न प्रकार है:—

(a) पुरानी कंपनियों के लिए (1 वर्ष से अधिक)

⟹ 22% (पहले यह 30% था)

(b) नयी कंपनियों के लिए (1 वर्ष से कम)

⟹ 15% (पहले यह 25% था)

Capital Gain Tax
पूँजी लाभ कर

पूँजी लाभ का अभिप्राय उस आय से है जो पूँजी के निवेश से प्राप्त होती है। जैसे – भूमि, स्वर्ण, शेयर्स आदि के निवेश करने पर।

पूँजी लाभ कर दो प्रकार के होते हैं—

(i) अल्पकालीन पूँजी लाभ कर

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर

① Shares (अंशपत्र) → अल्पकालीन (12 months ↓)
→ दीर्घकालीन (12 months ↑)

② अचल परिसंपत्तियाँ (land) → अल्पकालीन (2 yrs. ↓)
→ दीर्घकालीन (2 yrs ↑)

③ चल परिसंपत्तियाँ (Gold) → अल्पकालीन (3 yrs ↓)
→ दीर्घकालीन (3 yrs ↑)

Securities Transaction Tax
प्रतिभूति लेनदेन कर

- यह निवेशकों पर लागू होता है जब वह किसी प्रतिभूति जैसे अंशपत्र (shares), ऋणपत्र (Debenchers), Bonds आदि का क्रय - विक्रय करते हैं।

- यह 2004 में पेश किया गया था

Dividend Distribution Tax
लाभांश वितरण कर

- जब कोई कंपनी लाभांश वितरित करती है तब उस समय यह कर लागू होता है।

यह 2020 में समाप्त किया गया।

यह 15% था।

Minimum Alternate Tax
न्यूनतम वैकल्पिक कर

- यह 1997-98 में पेश किया गया।

यह उस कंपनी पर लागू होता है जो शून्य लाभ को दर्शाती है।

वर्तमान में यह 15% है। (पहले 18.5% था)

Global Minimum Tax
वैश्विक न्यूनतम कर

- यह कर की घोषणा Oct. 2021 में OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ने की थी।

- वर्तमान में यह 136 देशों द्वारा लगभग स्वीकार्य है।

- यह 15% होगा।

Fringe Benefit Tax
अनुषंगी लाभ कर

- यह 2005 में पेश किया गया।

- यह कंपनियों के द्वारा भुगतान किया जाता है उन लागतों पर जो वह अपने कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य उपयोगी सेवाओं पर भुगतान करती है जैसे कर्मचारियों के घर, गाड़ी, मोबाइल फोन, लैपटोप आदि।

- इसे 2009 में समाप्त कर दिया गया एवं यह 30% लगाया जाता था।

Wealth Tax

- यह धन कर अधिनियम 1957 के द्वारा शासित होता था।
- यह लोगों की परिसंपत्ति पर लागू होता है।
- इसे 2016 में समाप्त कर दिया अल्पकालीन समय के लिए

Central Government Indirect Taxes
केन्द्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर

① Central Excise Duty (केन्द्र उत्पादन शुल्क):-

यह एक प्रकार का विशिष्ट कर है क्योंकि यह किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा, वजन, आकार आदि के आधार पर लागू होता है।

② Custom Duty (सीमा शुल्क):-

यह किसी वस्तु के आयात एवं निर्यात पर लागू होता है।

NOTE ▶ आमतौर पर सरकार आयातों पर कर लगाती है एवं उसे आयात कर कहते हैं। लेकिन कभी-कभी सरकार निर्यातों पर भी कर लगाती है।

③ Countervailing Duty (CVD) :-

यह सरकार उन वस्तुओं पर लगाती है जिन वस्तुओं पर उस देश की सरकार ने सब्सिडी उपलब्ध करायी हो।

④ Anti-Dumping Duty:-

- जब किसी देश की कंपनी अपने देश में वस्तुओं को बेचना बंद कर दे या महंगे दामों पर बेचे एवं दूसरे देशों में उसे सस्ते दामों पर बेचे तब वह Dumping कहलाता है।

जब सरकार WTO के साथ मिलकर उन Dump किए हुए वस्तुओं पर शुल्क लगाती है तब उसे Anti Dumping Duty कहते हैं।

⑤ **Service Tax (सेवा कर) :-**

यह उन कंपनियों के द्वारा लगाया जाता था जो सेवाएँ उपलब्ध कराती थी।

⑥ **Central Sales Tax (केन्द्र बिक्री कर) :-**

जब हम किसी एक राज्य में वस्तुओं को खरीदते हैं एवं दूसरे राज्य में उसी वस्तुओं को बेचते हैं।

State Government Direct Taxes
राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर

① **Agricultural Income Tax (कृषि आय कर) :-**

- जब एक किसान द्वारा कृषि फसलों को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उस पर लागू होता है।

यह भारतीय संविधान के राज्य सूचि में दिया गया है इसीलिए यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वह लागू करती है या नहीं।

② **Land Revenue (भू-राजस्व) :-**

यह कृषि भूमि के आकार के आधार पर लागू होता है।

③ **Professional Tax (पेशा कर) :-**

यह पेशेवर लोगों के ऊपर लागू होता हैं एवं उसके राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।

State Government Indirect Tax
राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर

① State Excise Duty (राज्य उत्पादन शुल्क) :=

- यह शराब, नार्कोटिक्स, पेट्रोलियम, फार्मास्युटिकल दवाईयाँ, Toiletries आदि के उत्पादन पर लागू होती हैं।

② Value-Added Tax (VAT) (मूल्यवर्धन कर) := (-HR UP)

- यह अंतः-राज्य व्यापार (Intra State trade) पर लागू होता है अर्थात जब हम एक ही राज्य में वस्तुओं को खरीदते एवं बेचते हैं।
- पहले इसे बिक्री कर (Sales tax) कहते थे।

Equalisation Levy

⇒ अखिल रंजन समिति की सिफारिश द्वारा

Equalisation 1.0	Equalisation 2.0
⇒ वित्त विधेयक 2016	⇒ वित्त विधेयक 2020
• उन विदेशी कंपनियों पर लागू होता है जो भारतीय लोगों या कंपनियों को digital ad. Services देती हैं।	• उन विदेशी कंपनियों पर लागू होता है जो भारत में अपने वस्तुओं को बेचते हैं।
Eg:- Fb, Google, Insta etc.	Eg:- Amazon, Alibaba.
• इसे Google Tax भी कहते हैं।	• Amazon Tax
• @6%	@2%
• 1 लाख से अधिक Bill पर लागू	• 20 Crore से अधिक पर लागू
• Turnover –	Turnover –

Direct Tax प्रत्यक्ष कर	Indirect Tax अप्रत्यक्ष कर
विनियामक प्राधिकरण = CBDT Central Board of Direct Taxes	विनियामक प्राधिकरण = CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs
विवादों को सुलझाने के लिए ⇓ 'Vivad se Viswas Tak'	विवादों के निवारण ⇓ 'Sabka Visvas Scheme'

Round Tripping

- जब कोई कंपनी किसी एक देश से दूसरे देश में मुद्रा का Hawala के द्वारा हस्तांतरण करती है एवं उस देश में कंपनी स्थापित कर उसी मुद्रा को फिर से Origin Country में वापस लाया जाए एवं निवेश किया जाए।

आमतौर पर यह मुद्रा tax heaven देशों में ले जायी जाती है।

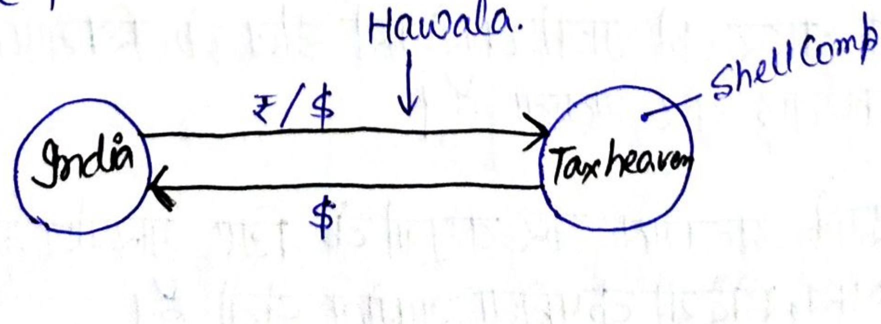

Double Taxation Avoidance Agreement
(दोहरा कराधान बचाव समझौता)

- यह एक प्रकार का कर से संबंधित समझौता है जो एक देश दूसरे देश के साथ करता है। इसके अन्तर्गत यदि कोई एक व्यक्ति या कंपनी किसी एक देश में कर का भुगतान कर देती है तब उसको जिस देश से हस्ताक्षरित है तब उन देशों में उसी मुद्रा पर करों के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्तमान में भारत ने लगभग 88 देशों के साथ DTAA हस्ताक्षरित किया है जिनमें से 86 देशों में यह लागू हो चुका है।

General Anti-Avoidance Rule (GAAR)
सामान्य परिहार विरोधी नियम

- यह बजट 2012-13 में पेश किया गया था
- यह 1 Apr. 2017 से प्रणब मुखर्जी द्वारा लागू किया गया।
- यह DTAA में दुरुपयोग को रोकने के लिए काम आता है।
- इसके तहत tax से बचने के लिए IT कमीश्नर भारत के बाहर की गयी कारोबारी डील के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।
- इसके अन्तर्गत कर वसूली के लिए भारतीय नागरिक, NRI, विदेशी कंपनिया शामिल होती है।
- यह पूर्वव्यापी सौदे पर भी लागू होता है। अर्थात् GAAR से पहले सौदों के लिए भी नोटिस भेज सकता है।
- इसके तहत IT कमीश्नर को 12 महीने के अन्दर फैसला करना होता है। सबूत का बोझ पार्टी पर न कि IT Comm. पर

- कंपनी यदि GAAR के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह विवाद समाधान पैनल (DRP) Dispute Resolution Panel फिर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) Income Tax Appellate Tribunal

↓

उच्च न्यायालय

↓

सर्वोच्च न्यायालय

Border Adjustment Tax (BAT)
सीमा समायोजन कर

- इसका सुझाव नीति आयोग ने दिया।

यह आयातों पर लागू होगा।

BAT लगाने से जो वस्तुएँ सस्ते दामों पर भारत में आयात होती है तब उन वस्तुओं को भारतीय वस्तुएँ प्रतिस्पर्धा दे पाएँगी।

Goods and Services Tax (GST)

- GST भारत में एक नया अप्रत्यक्ष कर है जो सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके बनाया गया कुछ को छोड़कर जैसे :-

  (a) कच्चा तेल
  (b) Petroleum
  (c) Diesel.
  (d) प्राकृतिक गैस
  (e) Eviation Turbine Fuel
  (f) Fuel
  (g) Electricity
  (h) Tobacco etc.

- गंतव्य आधारित उपभोग कर (Destination based Consumption Tax)

- Ad-velorum Tax अर्थात यह मूल्यवर्धन पर लागू होता है।

- GST से cascading Effect को खत्म कर दिया गया।

- GST एक राष्ट्र एक कर है।

- Input Tax Credit Mechanism

- GST 122वाँ संविधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लाया गया।

- 101वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया।

GST & Indian Constitution

- GST के लिए 101वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ एवं इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन किए गए।

(a) Art. 366 (12A) ⟶ GST की परिभाषा

(b) Art. 246A ⟶ यह अनु० GST में कानून बनाने के संबंध में है।

- CGST & SGST में केन्द्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार
- IGST के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार केन्द्र के पास है।

(c) Art. 269A ⟶ यह IGST से संबंधित है।

IGST में करों को लागू करने एवं एकत्रित करने का अधिकार केन्द्र के पास है लेकिन प्राप्त राजस्व केन्द्र एवं राज्य दोनों में बँटता है।

(d) Art. 279A ⟶ GST परिषद

GST Council

- यह निकाय GST संबंधी करों का निर्धारण करती है।
- संवैधानिक निकाय

(i) अध्यक्ष → Finance Minister

(ii) Minister of state (केन्द्र राज्य मंत्री) (वित्त)

(iii) सभी राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री जिसे CM नियुक्त

(iv) State government → 2/3 मताधिकार

Central government → 1/3 मताधिकार

NOTE ▷ यदि 75% मताधिकार सहमत है तब GST संबंधी दरों का निर्णय लिया जाएगा।

Dual nature of GST

केन्द्र सरकार ⇓ | राज्य सरकार ⇓

Intra State Govt. → CGST

SGST/UT GST

Inter-State govt. → IGST

@ 5%
@ 12%
@ 18%
@ 28%

Gold jewellery → @ 3%

Precious stone → @ 0.25%

GST में निम्न कर शामिल हैं

① CGST:-

- (i) Central Excise duty
- (ii) Additional duty on Excise.
- (iii) सेवा कर आदि

suscharge
cess
~~Ser~~

② SGST:-

- (i) VAT
- (ii) Purchase Tax
- (iii) Luxury Tax
- (iv) चुंगी कर

suscharge
cess.

③ IGST:-

- CST, Countervailing Duty etc.

Finance Commission
(वित्त आयोग)

State 243

स्थापना = 22 Nov. 1951

संवैधानिक निकाय (Constitutional body [Art.-280]

यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित होती है (5 yrs. के लिए)

यह राष्ट्रपति को सिफारिशें देती है।

वित्त आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।

प्रथम वित्त आयोग ⟶ 1952-1957.
अध्यक्ष ⟶ KC न्योगी
वर्तमान वित्त आयोग ⟶ 15th ⟶ N.K. Singh
(2021-2026)

14th वित्त आयोग ⟶ 2015-2020 Y.V. Reddy

13th वित्त आयोग ⟶ 2010-2015 विजय एल० केलकर

12th वित्त आयोग ⟶ 2005-2010 C. Rangrajan.

15th वित्त आयोग के सदस्य

⇒ chairman → एन० के० सिंह

⇒ 4 अन्य सदस्य → (a) अजय नारायण झा
(b) अनूप सिंह
(c) अशोक लाहिरी
(d) रमेश चन्द्र

⇒ सचिव → अरविन्द मेहता

- वित्त आयोग केन्द्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बँटवारा करता है। वित्त आयोग दो प्रकार के वितरण / हस्तांतरण करता है।

(i) **Vertical Devolution (लंबवत वितरण) :-**

इसके अनुसार राजस्व केन्द्र से राज्यों के बीच बँटता है एवं वर्तमान में यह 41% है एवं 1% J&K और लद्दाख के लिए।

(ii) **Horizontal Devolution (क्षैतिज वितरण) :-**

इसके अन्तर्गत वित्त आयोग राजस्व को विभिन्न राज्यों के बीच बाँटता है।

14वाँ वित्त आयोग	15वाँ वित्त आयोग
(i) आय दूरी (Income distance) → 50%	(i) Tax Effort → 2.5%
(ii) वन एवं पारिस्थितिकी Forest & Ecology → 7.5%	(ii) जनसांख्यिकी प्रदर्शन (Demographic performance) → 12.5%
(iii) Area → 15%	(iii) Income Distance (आय दूरी) → 45%
(iv) जनसंख्या → 27.5%	(iv) वन एवं पारिस्थितिकी (Forest & Ecology) → 10%
	(v) Area → 15%
	(vi) Population → 15%